

2019/00053.

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा


आज्ञा-पत्र

उनवान..... बिपीलाल बनाम मंगीलाल

किस्म मुकदमा धारा-223 अपील संख्या 52/2019

अभिभाषक अपीलान्त श्री व. एस. अग्रवाल अभिभाषक रेस्पोंडेंट

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
22.5.24	<p>पत्रावली पेश हुई अपीलान्त गण एवं अभिभाषक अपीलान्त को रूक-रूक कर तीन बार भावजे लगवायी गयी, फिर भी उनही कोर से कोई भी उपखिलत नहीं हुआ। पत्रावली का अग्रजोडा डिफा गपा, पत्रावली में रेस्पों. उ के नेटिश सम्मत तामील जरिदे रजिस्टर्ड एण्डो आदिगांड तक पेश नहीं किये गये हैं। अतः पत्रावली अडम हाजरी एवं आउट फेडी में खारिज की जाती है। पत्रावली फुल्ल शुगा होर आड तामील तउकील दाखिल दफ्तर हो।</p>	<p>कोटालय गिल्लप्रवरदाय के वशले 05व दिनांक 24/5/24 से एण्डोडकाकी फुल पत्रावली अडम हुई। उ-से- 12/2019 मंगीलाल बिपीलाल दिने - 15/6/2018</p>


(ममता कुमारी तिवारी)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
 राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा





25/7/20

न्यायालय भ्रूखण्ड अधिकारी एवं पदेनराजस्व अमील प्राधिकारी कोटा

बद्रीलाल
श्री य. स. न. म. म. म. म. म.
बद्रीलाल राज
11.7.2018

केस नं. बारा
=====

- 18 बद्रीलाल पुत्रश्री शयोनथ
- 28 रामवरण पुत्रश्री रघुनाथ जा ति मीणा निवासी गौ विन्दिपुरा
तह. छबडा जिला बारा राज

---अपीलाण्ड

बनाम

- 18 मांगो लाल पुत्र जगन्नाथ
- 28 जमनाबाई पुत्री जगन्नाथ जा तिमोणा निवासी गौ विन्दिपुरा

तह. छबडा जिला बारा

- 38 राजासरकार जरिये तहसीलदार छबडा जिला बारा राज

---रेस्पोंडेंस

अमील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15-6-20 18

न्यायालय एस. डी. ओ. छबडा बडनवान- ब्रह्म मांगोलाल बनाम

बद्रीलाल वग अंतर्गत धारा 223 आर. टी. ए.

===

मान्यवर,

अमील निम्न कारणों पर आधारित है:-

1 यह कि अधी. न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15-6-18

विधि विरुद्ध एवं तथ्य विपरीत होने से अमास्तनीय है।

2 यह कि अधी. न्यायालय ने दावा व जवाब दावा पेश होने के

अपीलांत

2/11/2018

[Handwritten signature]